m-56(iv)

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
Email id-henv.cg@nic.in

क्रमांक एफ 7–54/2016/32 नया रायपुर, दिनांक /9/2016

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी,
नया रायपुर।

विषय : नया रायपुर की विकास योजना, 2031 के लेयर–II में भूमि के विभिन्न भू–उपयोग के विकास हेतु विकासकर्ताओं पर बाह्य विकास शुल्क भारित किया जाना।

संदर्भ : आपका ज्ञापन कमांक 5020/5(1)/2016 दिनांक 09.09.2016

----00----

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–64 के अंतर्गत नया रायपुर विकास हेतु राज्य शासन ने नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी का गठन किया है। नया रायपुर के सुनियोजित विकास हेतु नया रायपुर क्षेत्र की विकास योजना, 2031 लागू की जा चुकी है। इस प्रकार नया रायपुर के क्षेत्र का विकास, विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

2/ नया रायपुर के सुनियोजित विकास एवं नियोजन मापदण्डों में एकरूपता की दृष्टि से विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार बाह्य विकास नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा किया जाना है।

3/ उल्लेखनीय है कि नया रायपुर क्षेत्र, पंचायत अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नया रायपुर के क्षेत्र में सम्मिलित गांवों को भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 07.03.2015 द्वारा नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है। परंतु वर्तमान में इस क्षेत्र के लिए कोई नगरीय निकाय गठित नहीं है। इस प्रकार इस क्षेत्र में नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा नगर पालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधान भी लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा विकासकर्ताओं से बाह्य विकास शुल्क की राशि लिये जाने का प्रावधान नहीं है।

4/ उपर्युक्त परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 73 के अंतर्गत राज्य शासन यह आदेश देता है कि नया रायपुर के क्षेत्र की विकास योजना के लेयर–II की भूमि के भू–उपयोग (एकीकृत उपनगर को छोड़कर) के विकास हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे बाह्य विकास का शुल्क विकासकर्ताओं द्वारा नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को उपलब्ध करायी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

/

(संजय शुक्ला)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7–54/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 26/9/2016

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास विभाग,
2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
3. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/9/16

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
छत्तीसगढ़, रायपुर
दिनांक 27 SEP 2016
ASRACT
संचालक
ADM

आवक क्रमांक 1025
दिनांक 30/9/16